न्यायालय मान0राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र0क्र0 / दो /2015 निगरानी

1– गणेशी 2– संतो 3– इन्द्रा
4– रजनी 5–मैदा पुत्रियां कल्लू
6– चिंरोजा विधवा कल्लू मेहतर
सभीनिवासी ग्राम पलेरा तहसील
तहसील पलेरा जिला टीकमगढ
--आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन -- अनावेदक

(तहसीलदार पलेरा द्धारा प्र0क्र0 20/अ–3/13–14 में पारित आदेश दिनांक 4.7.14 के विरूद्ध निगरानी – अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959)

महोदय,

(निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण)

यह कि आवेदकगण ने तहसीलदार महोदय पलेरा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निजी स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 1806/5 रकवा 1.659 हैक्टेयर के नक्शा तरमीम किये जाने की प्रार्थना की , जिस पर से तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण क्रमांक 20/अ–3/2013–14 दर्ज करके स्थल निरीक्षण एवं मौका जांच करा कर आदेश दिनांक 4.7.14 पारित किया तथा नक्शा तरमीम किये जाने के आदेश दिये ।

यह कि तहसीलदार पलेरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/अ–3/ 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 4.7.14 से नक्शा तरमीम करने के आदेश दिये,किंतु अधीनस्थ अधिकारियों /कर्मचारियों द्धारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 4.7.14 का पालन नहीं किया जा

-2-

(121)

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 240-दो/2015 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
21-1-16	यह निगरानी तहसीलदार पलेरा व्दारा प्रकरण कमांक 20अ-3/2013-14 में पारित आदेश दि0 4-7-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 26-10-2015 को प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने। उनका तर्क है कि तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण कमांक 20अ-3/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 4-7-2014 व्दारा आवेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 1806/5 के नक्शा तरमीम का आदेश दिया था किन्तु आदेश का पालन पटवारी से नहीं कराया। अतः आदेश का पालन कराया जावे। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष आदेश का पालन नहीं किये जाने सम्बन्धी कोई आवेदन नहीं दिया है एंव इस न्यायालय में आदेश दिनांक 4-7-14 के विरूद्ध दिनांक 26-10-15 को अर्थात 01 वर्ष 03 माह वाद निगरानी प्रस्तुत की है जो समयवाह्य है। विलम्ब क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन भी नहीं दिया गया है। अतः निगरानी समयवाह्य पाये जाने से निरस्त की जाती है। सदस्य	